

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।
परिपत्र सं०- सी- 35 / वसूली / 2023-24 दिनांक- 29-12-2023

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरि० प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय: मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना 2023 का 31 मार्च, 2024 तक के लिए विस्तार।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं० सी-30/वसूली/2023-24 दिनांक 30.09.2023 द्वारा मृतक ऋणी सदस्यों को ब्याज में छूट प्रदान कर उन्हें राहत पहुँचाने के उद्देश्य से बैंक में "मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना-2023" लागू की गयी है, जिसकी अवधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त होने के दृष्टिगत योजना के लाभ से वंचित रह गये पात्र कृषक के वारिसानों/हितधारकों को योजना से शत-प्रतिशत लाभान्वित किये जाने के दृष्टिगत प्रबन्ध समिति की सरकुलेटरी बैठक दिनांक 11.12.23 को पारित प्रस्ताव सं०-01 के क्रम में "मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना-2023" को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाये जाने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ० प्र० से अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं० 837/49-01-23-06(32)/13टीसी-11 सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर 2023 द्वारा "मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना-2023 को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विस्तारित किये जाने की औपचारिक सहमति प्रदान की गयी है, जिस पर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ० प्र० कार्यालय के पत्र सं० 3650/अधि०-1 लखनऊ, दिनांक दिसम्बर 26, 2023 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सन्दर्भित योजना को दिनांक 31.03.2024 तक विस्तारित किये जाने की औपचारिक सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि शासनादेश सं०-572/49-1-23-6(32)/13टीसी-11 सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर 2023 में निर्गत शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

अतः उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बैंक परिपत्र सं० सी-30/वसूली/2023-24 दिनांक 30.09.2023 द्वारा बैंक में लागू की गयी मृतक ऋणी सदस्यों की 'ऋण मोचन योजना-2023' का विस्तार शासनादेश सं०-572/49-1-23-6(32)/13टीसी-11 सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर 2023 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2024 तक के लिये किया जाता है। उक्तानुसार अल्प अवधि हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के दृष्टिगत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करके अधिकाधिक मृतक बकायेदार कृषकों के वारिसानों/हितधारकों को योजना से लाभान्वित करते हुए बैंक की वसूली में तत्काल वृद्धि लाना सुनिश्चित करें।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण उ० प्र० सह० ग्राम विकास बैंक लि०, प्र० का० / प्रशि० केंद्र लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ० प्र०।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ० प्र०।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश को सादर अवलोकनार्थ।
9. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ० प्र० शासन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
10. मा० सभापति, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक